

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार

विज्ञापन संख्या-BCECEB(Rev.)-2019/07 दिनांक- 20.03.2021

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (बिहार सरकार) के अधीन "अमीन (जिला उप संवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन / भूमि सुधार उप-समाहर्ता कार्यालय / भू-अर्जन निदेशालय)" के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन एवं ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा संसूचित अध्याचना के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन "अमीन (जिला उप संवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन/ भूमि सुधार उप-समाहर्ता कार्यालय/ भू-अर्जन निदेशालय)" के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (Computer Based Test) के आधार पर पैनल निर्माण के लिए विज्ञापन संख्या-BCECEB(Rev.)-01/2019, 02/2019 दिनांक-21.12.2019, 03/2019 दिनांक-22.04.2020, 04/2019 दिनांक-30.04.2020 एवं 2019/05 दिनांक-03.06.2020 के क्रम में सभी संबंधित अभ्यर्थियों / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अंतिम रूप से भरे गये data को final data मानते हुए अग्रेतर प्रक्रिया प्रारंभ की गई। पूर्ण रूप से प्राप्त सभी आवेदनों के shortlisting उपरांत कोटिवार रिक्त सीटों की संख्या का दस गुणा से कुछ अधिक (cut-off अनुसार समान प्राप्तांक वाले सभी अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए) अभ्यर्थियों को CBT हेतु चयन के लिए उनके द्वारा भरे गये data को उनके द्वारा upload किये गए अभिलेखों की जाँच हेतु scrutiny की गई। फलस्वरूप scrutiny के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों का data को उनके संबंधित अभिलेख के अनुसार सही नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार संशोधित किया गया एवं कुछ अभ्यर्थियों के वांछित अभिलेख की उपलब्धता नहीं होने के कारण Reject कर दिया गया है।

CBT हेतु चयनित अभ्यर्थियों / Rejected अभ्यर्थियों की सूची एवं कोटिवार cut-off को पृष्ठ के website : bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है जिसे "Online Application Portal of Amin (Deptt. of Revenue and Land Reforms)" Link पर click करने के पश्चात् संबंधित link पर click कर प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी अभ्यर्थी को upload किये गये data पर किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे दिनांक 21.03.2021 से 25.03.2021 (11:59 p.m.) तक की अवधि में पृष्ठ के website: bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध विहित प्रपत्र को download कर print निकाल लें एवं इसे पूर्ण रूप से भरकर इसकी स्पष्ट scanned प्रति को अपने Registered email ID से Attach कर revaminobjection.bceceb@gmail.com पर भेज दें। विहित प्रपत्र "Online Application Portal of Amin (Deptt. of Revenue and Land Reforms)" Link पर Click करते हुए "Dowlond Objecton Form" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। आपत्ति देने के क्रम में किसी प्रकार के अन्य अभिलेखों को साथ में न भेजें क्योंकि इस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। अन्य श्रोतों से प्राप्त आपत्ति अथवा उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण से संबंधित सूचना website के माध्यम से यथासमय दे दी जायेगी।

Scrutiny के अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में जिस formula के आधार पर संशोधन किया गया है वह निम्नवत् है:

(a) Formulae for Shortlisting of candidates:

The weightage for marks obtained in intermediate (10+2) / equivalent examination & work experience of the candidate shall be 75:25 respectively which shall be used for short-listing criteria. The formulae for shortlisting criteria would be as follows:

Total Marks = (% obtained in intermediate (10+2) / equivalent exam)*0.75 + Marks for Number of years in Amin Service experience certificate.

For experience related to Amin Service, the following calculation will be adopted:

1 year = 5 Marks

2 year = 10 Marks

3 year = 15 Marks

4 year = 20 Marks

5 year & more = 25 Marks

For example, a candidate secured 80% in intermediate (10+2) / equivalent exam and has 2 years of Amin Service experience on Amin profile, the formulae will be calculated as follows: .

Solution :

Total Marks = (80*0.75) + 10 = 70

(B) Methods/Norms for calculating HSC or Equivalent percentage in the Scrutiny Process for Amin

S. N.	Particulars	Percentage Calculation Method
1	CBSE Board	As per norms of CBSE, Percentage was calculated by taking marks of English and highest marks of other four subjects.
2	BSEB / BIEC	a) If candidate's passing year is before 2009, then percentage was calculated by adding all marks of main subjects excluding additional & vocational subject and thereafter by dividing the total marks with 9. b) If candidate's passing year is 2009 and above 2009, then percentage was calculated by adding all marks of 5 main subjects excluding additional & vocational subject and thereafter by dividing the total marks with 5.
3	ICSE Board	As per norms of ICSE, Percentage was calculated by taking marks of English and highest marks of other three subjects.
4	Other state Diploma	In case of Diploma, the percentage calculated based on the total marks and obtained marks depicted in final marksheet.
5	West Bengal council of higher secondary education	Percentage was calculated as per notification given in official website OR Percentage was calculated based on the total marks and obtained marks.
7	CGPA percentage calculation	Percentage was calculated if formula is given in certificate / respective college or university portal. Otherwise formula as defined by CBSE board was used.
8	ITI Marksheet	Percentage was calculated based on the total marks and obtained marks in ITI marksheet.
<p>Note: Please note that percentage was calculated based on the norms given in Official website of respective Board/University, Percentage given in marksheet, based on Total & Obtained marks provided in marksheet or following the CBSE norms.</p>		

Admit Card निर्गत एवं परीक्षा आयोजन की तिथि से संबंधित जानकारी पर्वद के वेबसाईट एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से यथासमय दे दी जायेगी।

नोडल पदाधिकारी